बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
—::संकल्प::—

श्री संजय कुमार राय, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, किशनगंज—1 को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना द्वारा प्रत्यानुपातिक धनार्जन के मामले में निगरानी थाना काण्ड सं0—43/2022 दिनांक 26.08.2022 धारा—13(2) सह पठित धारा—13(1)(बी) भ्र0नि0अधि0 1988 (संशोधित अधिनियम—2018) दर्ज किये जाने के आलोक में विभागीय अधिसूचना सं0—1711—सह—पठित ज्ञापांक 1712 दिनांक 10.10.2022 द्वारा तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक के लिए निलंबित किया गया। साथ ही निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना का कार्यालय निर्धारित किया गया।

2. तदोपरान्त श्री राय के विरूद्ध कदाचार के उक्त गम्भीर आरोपों पर विभागीय संकल्प ज्ञापांक—1604 अनु0 दिनांक 17.07.2023 द्वारा मुख्य जॉच आयुक्त, बिहार, पटना के अधीन विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गयी। मुख्य जॉच आयुक्त के आदेश दिनांक 28.07.2023 द्वारा उक्त विभागीय कार्यवाही को सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना—सह—जॉच आयुक्त को हस्तानान्तरित किया गया। वर्तमान में श्री राय के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना—सह—जॉच आयुक्त के अधीन संचालित है।

3. श्री राय द्वारा समर्पित अभ्यावेदन दिनांक 24.06.2024 द्वारा दो वर्षों से अधिक निलंबित रहने के कारण दिनांक 10.10.2023 के प्रभाव से अनुमान्य जीवन निर्वाह भत्ता में 50 प्रतिशत की वृद्धि करने का अनुरोध किया गया है।

4. श्री राय द्वारा समर्पित अभ्यावेदन के आलोक में मामले के समीक्षोपरान्त इनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही के निर्णय में विलंब होने की संभावना को देखते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 10(1)(i) में निहित प्रावधानों के तहत श्री राय को प्रदत्त जीवन निर्वाह भत्ता में उनके निलंबन अवधि एक वर्ष पूर्ण होने की तिथि से 30 (तीस) प्रतिशत की वृद्धि की स्वीकृति दी जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(डा0 फातेह फैयाज)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ०प्र०–7–06/2022 40 /पटना, दिनांकः– 1-1-25

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी, ई० गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार ,पटना को बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ (आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से) प्रेषित।

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ०प्र०–7–06/2022 40 /पटना, दिनांकः– 1-1-25

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, बिहार, पटना वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः– 2/अ०प्र०–7–06/2022 40 /पटना/दिनांकः– 1-1-25

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के निजी सहायक/अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के निजी सहायक/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, किशनगंज/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, किशनगंज–1/प्रशाखा पदाधिकारी–6, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/श्री संजय कुमार राय, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, किशनगंज–1 सम्प्रति निलंबित, मुख्यालय–अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना का कार्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव